निगरानी / टी.ए./ 677/ 2005/ जिला जोधपुर
सरकार बनाम जेठूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
3.12.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–12–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर के समक्ष बाबत विवादित आराजी पेश किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 24–12–03 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 21–12–04 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों बाबत् उसके कब्जेकाश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने और मौके पर जो निमार्ण कार्य किया हुआ है, उसे ध्वस्त नहीं किये जाने के अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि विवादित आराजी रकबा राज है जिस पर अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सिवायचक भूमि होने से तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के सटीक की भूमि होने से सरकारी भूमि के लिये स्थगन आदेश त्रुटिपूर्ण जारी किया गया। अप्रार्थीगण विवादित आराजी के कभी काश्तकार नहीं रहे। परीक्षण न्यायालय ने दावे में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण द्वारा साबित नहीं करने पर खारिज किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया था जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। 4. राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण वादीगण ने एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	बाबत विवादित आराजी पेश किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 24–12–03 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 21–12–04 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों बाबत् उसके कब्जेकाश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने और मौके पर जो निमार्ण कार्य किया हुआ है, उसे ध्वस्त नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण घटक को ही देखना होता है तथा अन्य विषय वस्तु वाद के अंतिम निस्तारण के समय गुणावगुण पर तय की जानी होती है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में रकबा राज एवं गोचर दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य उनकी खातेदारी आराजी से परे राजकीय व गोचर भूमि पर किया हुआ है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं मौके में भिन्नता होने तथा प्रथम दृष्ट्या वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण घटक अप्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानते हुये विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत् नहीं माना है। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी के सम्बंध में प्रथम दृष्ट्या कोई टाईटल उजागर नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये अप्रार्थीगण वादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया था किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये, विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में स्पष्टतः तात्विक त्रुटि कारित की है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद वर्ष 2002 से लम्बित है तथा मूल वाद की आज दिनांक की स्थिति अथवा उसके निस्तारण के संबंध में जानकारी का अभाव है। 6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अप्रार्थीगण वादीगण की अपील स्वीकार कर न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–12–03 को निरस्त करने में स्पष्टतः तात्विक त्रुटि कारित की है, जो समर्थनीय नहीं होकर निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–12–04 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय उपखंड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–12–03 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मदनलाल नेहरा) सदस्य	

निगरानी / टी.ए./ 677/ 2005/ जिला जोधपुर

सरकार बनाम जेठूराम